दिनांक 15/09/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

15/09/25 - पत्रावली पेश हुई रमाल प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थना-पत्र अस्वीकार पाये जाने पर खारिज किया जाता है। पृथक से विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। फैसला सुनाया है नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला लेख भण्डार हो सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
54 / 25	08 / 05 / 25	15 / 09 / 25

/ / उनवान / /

1. सविता पत्नि दयाराम जाति अहीर, निवासी श्रीकृष्णनगर, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)।

:– **प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा।

:– **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–वकील प्राथी श्री पृथ्वीसिंह यादव।

निर्णय दिनांक :– 15 / 09 / 2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः निम्न प्रकार रहाः–

1. यह है कि उक्त आराजी ख0न0 541 रकबा 3.05 हैक0 का 1/3 भाग, वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आ० कहलायेगी।

2. यह है कि आ० हाल ख0न0 541 रकबा 3.05 हैक० वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर का 1/3 भाग दिनांक 08.11.2006 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था मिनवादीया के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में सविता पत्नी दयाराम दर्ज है चूंकि मिनवादीया को गांव में कौशल्या व सविता दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है मिनवादीया अनपढ महिला है बैयनामा लिखवाते समय गांव के पढे लिखे व्यक्ति जो साथ गये थे गांव के लोग प्रार्थिया का नाम कौशल्या ही जानते थे उन्होने बैयनामा टाईप करने वाले को जो नाम (कौशल्या) बताया वह बैयनामा में लिखा गया वादीया द्वारा कराये गये बैयनामा की तारीख को क्रेता की आई०डी० सम्बन्धी दस्तावेज की जांच किया जाना आवश्यक नही था इस कारण से टाईप राईटर द्वारा सहवन से की गयी त्रुटि सहित उक्त बैयनामा तस्दीक हो गया और उसी अनुसार त्रुटि शुदा बैयनामा में वादीया का नाम (कौशल्या पत्नी दयाराम) ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया तथा हाल ख0न0 541 के राजस्व रिकार्ड में गांव में बोलता नाम कौशल्या होने के कारण सविता के बजाय सहवन से कौशल्या दर्ज हो गया। जबकि वादीया का सही नाम सभी दस्तावेजो में सविता है,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

कौशल्या सहवन से गलत दर्ज चला आ रहा है जो प्रार्थीया के हिस्से तक प्रार्थीया के हक हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है काबिल दुरुस्ती है।

3. यह है कि मिन वादीया को गांव में कौशल्या व सविता दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है मिन वादीया अनपढ ग्रामीण महिला है जिसके मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड, पैनकार्ड व समस्त दस्तावेजों में सदैव से सविता पत्नी दयाराम दर्ज है लेकिन गांव में बोलता नाम कौशल्या होने के कारण उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में कौशल्या पत्नी दयाराम दर्ज हो गया सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कौशल्या पत्नी दयाराम लिखा गया लेकिन बैयनामा का अमल करते समय राजस्व कर्मचारीयों ने कौशल्या पत्नी दयाराम दर्ज कर दिया जो गलत है मिन वादीया के हक व अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है काबिल दुरूस्ती है।

4. यह है कि वादीया की आराजी विवादित उक्त ख० नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में त्रुटि होने से मिन वादीया की स्वयं की कब्जेकाश्त खातेदारी की कृषि भूमि के बाबत सरकार से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ प्रधानमंत्री योजना से मिलने वाली राशि तथा कृषि ऋण जैसे लाभ वादीया नहीं प्राप्त कर पा रहे है वादीया ने अपने राजस्व रिकार्ड में सही नाम सविता पत्नी दयाराम के स्थान पर गलत नाम जो कौशल्या पत्नी दयाराम दर्ज है को दुरूस्त कराने का प्रति० न० 1 के समक्ष कई बार उप० होकर प्रयास किया, लेकिन प्रतिवादीगण ने दि03. 05.25 को इंकार कर दिया तथा अदालत के आदेश लाने को कहा तो अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956 पेश करना आवश्यक आया है।

5 यह है कि प्रा०पत्र बाबत बिनायदावी बिनायमुखास्मत दि० 03.05.2025 को पैदा होकर दावा हाजा अन्दर अवधि पेश है।यह है कि विवादित आ० वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर में स्थित है जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होकर प्रा०पत्र हाजा अदालत श्रीमान द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः प्रा०पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण का नाम आ० हाल ख० न0 541 रकबा 3.05 हैव0, का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० के राजस्व रिकार्ड में कौशल्या पत्नी दयाराम दर्ज है जिसे दुरूस्त कर सविता पत्नी दयाराम किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन रहा

प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई जाकर प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/7161 दिनांक 14.08.2025 में आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 3.05 है0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर में कौशल्या पत्नि दयाराम का नाम दुरूस्ती कर सविता पत्नि दयाराम करवाना अंकित है। हाल जमाबंदी संवत 2072-75 के खसरा नम्बर 541 रकबा 3.05 है0 में प्रार्थीया का नाम कौशल्या देवी पत्नि दयाराम हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक प्रार्थीया के आधार कार्ड वोटर कार्ड में प्रार्थीया का नाम सविता पत्नि दयाराम दर्ज है। गवाहों के बयान एवं प्रार्थीया के शपथ-पत्र दिनांक 04.08.2025 तथा सरपंच ग्राम पंचायत मैनपुर के प्रमाण-पत्र के अनुसार कौशल्या पत्नि दयाराम व सविता पत्नि दयाराम दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। अतः श्रीमान जी संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कौशल्या पत्नि दयाराम के स्थान पर सविता पत्नि दयाराम करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत 2072-75 आराजी खसरा नम्बर 541 वाके ग्राम श्री कृष्णनगर, छायाप्रति बैयनामा, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र सविता पत्नि दयाराम, आधार कार्ड सविता, पैनकार्ड छायाप्रति, ईसीएचएस कार्ड छायाप्रति, राशनकार्ड छायाप्रति, जनआधार कार्ड छायाप्रति, शपथ-पत्र कौशल्या, प्रमाण-पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मैनपुर, पेश है शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र के बाबत वकील प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना–पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया आ० हाल ख0न0 541 रकबा 3.05 हैक० वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर का 1/3 भाग दिनांक 08.11.2006 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था मिनवादीया के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में सविता पत्नी दयाराम दर्ज है चूंकि मिनवादीया को गांव में कौशल्या व सविता दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है मिनवादीया अनपढ महिला है बैयनामा लिखवाते समय गांव के पढे लिखे व्यक्ति जो साथ गये थे गांव के लोग प्रार्थिया का नाम कौशल्या ही जानते थे उन्होने बैयनामा टाईप करने वाले को जो नाम (कौशल्या) बताया वह बैयनामा में लिखा गया वादीया द्वारा कराये गये बैयनामा की तारीख को क्रेता की आई०डी० सम्बन्धी दस्तावेज की जांच किया जाना आवश्यक नही था इस कारण से टाईप राईटर द्वारा सहवन से की गयी त्रुटि सहित उक्त बैयनामा तस्दीक हो गया और उसी अनुसार त्रुटि शुदा बैयनामा में वादीया का नाम (कौशल्या पत्नी दयाराम) ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया तथा हाल ख0न0 541 के राजस्व रिकार्ड में गांव में बोलता नाम कौशल्या होने के कारण सविता के बजाय सहवन से कौशल्या दर्ज हो गया। जबकि वादीया का सही नाम सभी दस्तावेजो में सविता है, कौशल्या सहवन से गलत दर्ज चला आ रहा है जो जगह दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र नाम दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया है एवं उक्त आराजी प्रार्थी द्वारा स्वयं जरिये बैयनामा खरीद की गई है। एवं बैयनाम में प्रार्थी के हस्ताक्षर कौशल्या नाम से ही हुये है एवं उक्त बैयनामा की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में भी जरिये नामांतरण नाम कौशल्या ही दर्ज हुआ है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में नाम त्रुटिवस कौशल्या दर्ज नही हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक **15.09.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner